छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 (चैत्र-4,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, रविशंकर त्रिपाठी, धर्मजीत सिंह, सदस्य, राजधानी रायपुर में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य, दुर्ग जिले की वृहद पेयजल योजना हेतु वित्तीय आवंटन जारी न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. मंत्री का वक्तव्य

(1) डॉ. रमन सिंह , मुख्यमंत्री, दिनांक 12 जनवरी, 2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या- 3 (क्रमांक- 76) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, दिनांक 15 फरवरी,2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या- 1 (क्रमांक- 497) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. संकल्प

30 मिनट श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए मानव शरीर से अंगों को निकालने, भंडारण करने, मानव शरीर में उन्हें प्रत्यारोपण करने एवं इन गतिविधियों के क्रियान्वयन में होने वाली व्यवसायिक लेन-देन को प्रतिबंधित करने हेतु लोकसभा द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 (1994 का क्रमांक 42) व्यवस्थापित किया गया है।

उक्त अधिनियम को लागू करने में कुछ वैधानिक कमियां ध्यान में आयी हैं, जिनके कारण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 (1994 का क्रमांक 42) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

क्रमश: 2

भारत के संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 249 एवं 250 से संबंधित मामलों के अलावा अन्य किसी भी मामले में राज्यों के लिए कानून बनाने हेतु लोकसभा को अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे कानूनों की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सेवन्थ शेड्यूल्ड) की सूची क्रमांक-2 (लिस्ट-2) की छठवीं प्रविष्टि (एन्ट्री 6) से संबंधित है जो कि अंग प्रत्यारोपण के वास्तविक प्रकरणों में सुविधाएं सुलभ कराने तथा अवैधानिक एवं/अथवा व्यवसायिक लेन-देन में लिप्त प्रकरणों को हतोत्साहित करने हेतु दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित् करने से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा द्वारा पारित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 (1994 का क्रमांक 42) में उपरोक्तानुसार संशोधन वैधानिक रूप से किया जाना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वांछनीय है।

अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 252 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सदन एतद्द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 (1994 का क्रमांक 42) में लोकसभा द्वारा किये जाने वाले संशोधनों को छत्तीसगढ़ राज्य में वैधानिक रूप से लागू करने हेतु संकल्प पारित करता है।''

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 24 मार्च, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.